फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

सायल :– घनश्यामसिंह पुत्र रामसिंह **बनाम** गैर सायलान :– दाकुदेवी पत्नि छोगाराम वगैरह

मु.नं. 1897/सन 2017

मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	वकील सायल उपस्थित। वकील सायल ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध गै0सा0 अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा डिगरना पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण मे सायल एवं गैरसायलान सं. 2 से 6 की खातेदारी काब्ता काश्त की पैतृक पुश्तेनी भूमि ख0नं0 513 रकबा 13–15 बीघा किस्म गै.मु. की आई हुई हैं। उक्त भूमि में किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करे तथा सायल की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करें तथा उक्त भूमि को किसी प्रकार से रहन, बेचान बक्सीस आदि अन्य हस्तान्तरण नही करने हेतु वाद के निर्णय तक गे. सा. को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबंन्द किये जाने की ईस्तदुआं की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस वकील सायल बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्ब प्रार्थना पत्र आज्ञा पारित किये जाने की ईशतदुआं की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वकील सायल पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा उक्त विवादित कृषि भूमि की आगामी पेशी तक सायल के हिस्से तक निर्माण कार्य नही करने हेतु गै.सा. को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरुद्ध गै0 सा0 इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा डिगरना पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण मे सायल एवं गैरसायलान सं. 2 से 6 की खातेदारी काब्ता काश्त की पैतृक पुश्तेनी भूमि ख0नं0 513 रकबा 13–15 बीघा किस्म गै.मु. की आई हुई हैं। उक्त विवादित कृषि भूमि में आगामी पेशी तक सायल के हिस्से तक निर्माण नही करने हेतु गै.सा. को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। वकील सायलान तलबाना एवं नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर गै0 सा0 को नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्द दिनांक 24.01.2018 को वास्ते जवाब प्रा. पत्र पेश हो। SDO	1372 29/12/17
24/01/18	पत्रावली पेश हुई आज S,D.O. साहब दौरे पर, विगर कार्य मे व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखनें से पत्रावली आयन्दा दिनांक ...... 20........ को पेश हों। 27-03-18	
27/3/18	पत्रावली पेश हुई। वकील मय सायल को बार बार आवाजे दिलाई गई। वकील मय सायल बिना कोई सूचना इत्तला के अनु० रहते हो। वकील मय सायल बिना कोई सूचना इत्तला के अनु० रहते है सायल का प्रार्थना पत्र अदम पैरवी। अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	नम्बर से खारिज हो। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। अजवाद खारिज हो। [illegible]